हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 सितम्बर, 1996

संख्या सा० का० नि० 86/संवि०/अनु० 309/96.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग (ग्रुप "घ") सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग I—सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा आरम्भ ।

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य अभियोजन (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1996 कहे जा सकते हैं।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

परिभाषाएं ।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदाधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ख) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक अभियोजन, हरियाणा ;

(ग) "रोजगार कार्यालय" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य में स्थित हरियाणा रोजगार कार्यालय ;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ; और

(ङ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य अभियोजन (ग्रुप घ) सेवा ।

भाग—II

सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण--पत्र आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा में या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महा-विद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था से, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाणपत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महा-विद्यालय/विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें ।

आयु ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो किसी भर्ती प्राधिकरण को आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से पूर्व के अगले मास के प्रथम दिन को या उससे पूर्व 16 वर्ष की आयु से कम का, या पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो ।

परन्तु अधिकतम आयु की सीमा में सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई हिदायतों के अनुसार छूट दी जा सकती है ।

नियुक्ति प्राधिकारी ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जाएंगी ।

अर्हताएं ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी । यदि

अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

निरर्हताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार को सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसा व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी:—

(क) सेवादार की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) स्वीपर एवं चौकीदार की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, सभी पदोन्नतियां ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु,—

(क) परन्तु ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकरण के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तों अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(ग) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन भी सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:—

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास हो,

हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम, स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो, अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संगठन या अन्य निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाये गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जायें।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें ।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में बताया गया हो ।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे तो टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा ।

राजनिष्ठा की शपथ ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी ।

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्ति।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है। विशेष उपबन्ध।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी: आरक्षण।

परन्तु इस प्रकार किए गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

20. सेवा को लागू कोई नियम और इन नियमों में से, किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा निरसित किया जाता है : निरसन तथा व्यावृत्ति।

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	सेवादार	16	46	62	750—12—870—द. रो.—14—940 रुपए
2	सफाई कर्मचारी एवं चौकीदार	..	1	1	750—12—870—द. रो.—14—940 रुपए

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव यदि कोई हों	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव यदि कोई हों
1	2	3	4
1	सेवादार	हिन्दी तथा अग्रेजी का ज्ञान	हिन्दी तथा अग्रेजी का ज्ञान
2	सफाई कर्मचारी एवं चौकीदार	हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान	हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	सेवादार	निदेशक	1. छोटी शास्तियां – (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ; (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धि या रोकना ; 2. बड़ी शास्तियां— (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना;	निदेशक	सरकार
2	सफाई कर्मचारी एवं चौकीदार				

1	2	3	4	5	6
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निरन्तर क्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव रखेंगी या नहीं;		
			(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया: रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा;		
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;		
			(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;		
			(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यत: निरर्हता होगी।		

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश पारित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	सेवादार	(i) पैन्शन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैन्शन की राशि में कमी करना या रोकन	निदेशक	सरकार
2.	सफाई कर्मचारी एवं चौकीदार	(ii) सेवा के सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।		

मीनाक्षी आनन्द चौधरी,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 20th September, 1996

No. G.S.R.86/Const./Art. 309/96.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following Rules,—regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana State Prosecution (Group D) Service, namely:—

PART I—GENERAL

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana State Prosecution Group 'D' Service Rules, 1996.

(2) They shall come into force at once.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'direct recruitment' means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government ;

(b) 'Director' means the Director of Prosecution, Haryana ;

(c) 'Employment Exchange' means the Haryana Employment Exchange, situated in Haryana State;

(d) 'Government' means the Haryana Government in the Administration of Justice Department ; and

(e) 'Service' means the Haryana State Prosecution Group D Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts.

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix 'A' to these Rules:

Provided that nothing in these rules shall effect the inherent right of the Government to make additions, to or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan ; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the first day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or Board or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal, Academic Officer of the University, College, School or Institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relative who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or Institution.

Age.

5. No person shall be appointed to the post in the Service by direct recruitment who is less than 16 years or more than 35 years of age on or before the first date of the month next preceding the last date fixed for submission of application to any recruiting authority :

Provided that the maximum age shall be relaxable in accordance with the instructions issued by the Government from time to time.

Appointing authority.

6. Appointment to the posts in the service shall be made by the Director.

Qualification.

7. No person shall be appointed to the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by direct recruitment :

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and physically handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualification.

8. No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage, with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the service shall be made :

(a) In case of Peons,

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(b) In case of Sweeper-cum-Chowkidar,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided shall be made on the seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotion in respective cadre.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that :—

(a) any period, after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in any post in equivalent or higher rank, prior to a ppointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as a period spent on probation, but no person who has so officiated shall on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may :—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, or revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit, if appointed otherwise ;

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. The Seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by transfer ;

(b) in the case of member appointed by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were transferred ;

(c) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to service.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under:—

(i) a company, association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a Local Authority or University within the State of Haryana ; or

(ii) the Central Government or a Company, Association or body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body

Provided that no member of the service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, Leave, Pension and other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the Competent Authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and Appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority

shall, subject to the provisions of any law or rules made under Article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix 'C' to these Rules.

(2) The authority competent to pass an order under clauses (c) and (d) of Sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appellate authority shall be as specified in Appendix 'C' to these Rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

Special provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservation so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and savings.

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules, is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX 'A'

(*See* rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of posts		Total	Scale of pay
		Permanent	Temporary		
1	2	3	4	5	6
1	Peons	16	46	62	Rs. 750—12—870—EB—14—940
2	Sweeper-cum-Chowkidar	—	1	1	Rs. 750—12—870—EB—14—940.

APPENDIX 'B'

(*See* rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Peon	Knowledge of Hindi and English	Knowledge of Hindi and English
2.	Sweeper-cum-Chowkidar	Knowledge of Hindi and English	Knowledge of Hindi and English

APPENDIX 'C'

(*See* Rule 14)

Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penality	Authority empowered to impose penality	Appellate Authority
1	2	3	4	5
		1. **Minor penalities**		
1 Peons	Director	(i) Warning with a copy on the personal file (character role);	Director	Government
2 Sweeper-cum-Chowkidar	Do	(ii) Censure ;		
		(iii) withholding of promotion;		
		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence of breach of order, to the Central Government or State Government or to a Company and Association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and		
		(v) withholding of increments without cummulative effect;		
		2. **Major penalities :**		
		(vi) withholding of increments with cummulative effect ;		

1	2	3	4	5	6
		(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have effect of postponing the future increments of his pay ;			
		(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post of service from which the Government employee was reduced, and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;			
		(ix) compulsory retirement;			
		(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;			
		(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for furture employment under the Government.			

APPENDIX 'D'

[*See* Rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to ma the Order	Appellate Authority
1	2	3	4	5
1	Peons	(1) reducting or withholding the amount of ordinary/additional pension admissible under the rules, governing pension.	Director	Government
2	Sweeper-ctm-Chowkidar	(2) determinating the appointment of otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.		

MEENAXI ANAND CHAUDHRY, IAS,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

PART III
HARYANA GOVERNMENT
ADMINSTRATION OFJUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 10-Dec **2009**

No. G.S.R/Const./Art. 309/2009. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Prosecution (Group D) Service Rules, 1996, namely:-

1. These rules may be called the Haryana State Prosecution (Group D) Service (First Amendment) Rules, 2009.

2. In the Haryana State Prosecution (Group D) Service Rules, 1996, in Appendix B, against serial No. 1&2, under Column 3&4, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:-

(i) Middle pass with Hindi.

Mohan

(Krishna Mohan)
Financial Commissioner & Principal Secretary to Government Haryana, Administration of Justice Department

भाग–III
हरियाणा सरकार
न्याय प्रशासन विभाग
अधिसूचना

दिनांक 10 Dec.,2009

सख्या सा0का0नि0/संवि0/अनु0 309/2009 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, हरियाणा राज्य अभियोजन (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1996, को आगे संशोधित करने के निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:–

1. ये नियम हरियाणा राज्य अभियोजन (ग्रुप घ) सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2009, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा राज्य अभियोजन (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1996 में, परिशिष्ट ख में, कम संख्या , 1 एवं 2 के सामने, खाना 3 एवं 4 के नीचे विधमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:–

(i) आठवीं पास हिन्दी सहित ।

Mohan

(कृष्ण मोहन)
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,हरियाणा सरकार
न्याय प्रशासन विभाग ।